19/1/26 पक्षकारों पेश हुए। वकील अपीलार्थी/विपक्षी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार बार अवसर दिया गया प्रकरण काफी पुराना है। अतः प्रकरण मध्यस्थ की अपील अंतर्गत धारा 37 हाजरी में खारिज किया जाता है। पक्षकारों को पृथक होकर हाजिर होना होगा।

अति० जिला कलक्टर
खेतड़ी (झुंझुनूं)